HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12825/2026
CNR: RJHC020785402026 | URN: CRLMB / 23604U / 2026

Dinesh S/o Ganpat Lal, Aged About 21 Years, R/o Kherli Kalan, Police Station Mantown, District Sawai Madhopur (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail, Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या **01/2026** आरोप–पत्र की प्रति पर कार्यालय आपत्ति इंगित होने से उसे दूर कर अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है, जिस पर सुना गया।

इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **16/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी एवं डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम व 13 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि मौके पर सहअभियुक्त बृजेश को पकड़ा गया था जिसके मोबाइल की सिम के सम्बन्ध में

पोर्टल पर शिकायत थी तथा जब उसकी जांच की गई तो प्रार्थी/अभियुक्त के मोबिक्विक क्यूआर कोड पर 15 हजार रूपये की राशि पीड़ित सुभाष द्वारा भिजवाया जाना सामने आया है। पीड़ित सुभाष के कोई कथन अनुसंधान के दौरान नहीं लिए गए हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान मामले में जो राशि अंतर्वलित है, वह केवल 15 हजार रूपये है एवं अन्य कोई शिकायत भी उसके खाते के विरूद्ध दर्ज नहीं है। उसके क्यू आर कोड का उपयोग सहअभियुक्त बृजेश द्वारा अपने मोबाइल पर किया जा रहा था। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त बृजेश को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.07.2026 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने संगठित रूप से अपराध कारित किया है तथा अपना मोबिक्विक वाला खाता साइबर ठगी के लिए सहअभियुक्त बृजेश के लिए दे रखा था। इस खाते में 15 हजार रूपये साइबर ठगी के प्राप्त भी हुए हैं। उसके विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी एवं डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम व 13 राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश के अपराधों का अपराध है। उसके मोबिक्विक खाते जिसका दुरूपयोग सहअभियुक्त बृजेश द्वारा किया जाना बताया गया है, में साइबर ठगी के कुल 15 हजार रूपये प्राप्त होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सहअभियुक्त बृजेश को समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **दिनेश पुत्र गणपतलाल** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

20/AJAY KUMAR SINGHAL